International Journal for Multidisciplinary Research
Plagiarism & Intellectual Property Rights in Digital Age (PIPRDA-2023)
E-ISSN: 2582-2160 ● Website: www.ijfmr.com ● Email: editor@ijfmr.com

स्थानीय स्वशासन प्रजातन्त्र की प्रथम पाठशाला है"- लार्ड ब्राइस

डॉ .शोभा राठौर

सहायक प्राध्यापक राजनीति विज्ञान, शासकीय महाविद्यालय नामली जिला रतलाम

स्थानीय स्वशासन(LOCAL SELF GOVERNMENT)

प्रस्तावना :-

वर्तमान में स्थानीय शासन का महत्वपूर्ण स्थान है | शासन व्यवस्था के रास्ट्रीय स्तर पर केंद्र सरकार एवम प्रांतीय स्तर पर राज्य सरकार कार्य करती है | शासन के निचले स्तरया धरातल पर स्थानीय सरकार कार्य करती है | स्वतंत्रता के पश्चात यह अनुभव किया गया है की स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था ही लोकतंत्र की आधारशिला है | स्थानीय स्वशासन को संविधान द्वारा किये गए शक्ति विभाजन में राज्य सूचि की पांचवी प्रविष्टी में स्थान दिया गया |

स्थानीय स्वशासन का अर्थ एवम परिभाषा -

किसी राज्य में जब किसी स्थान विशेष का शासन वही के नागरिक अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से करते है तो इस व्यवस्था को **स्थानीय स्वशासन** कहा जाता है | स्थानीय स्वशासन को ऐसा शासन कहा गया है जो अपने सीमित क्षेत्र में प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करता है | परन्तु स्थानीय शासन अपने क्षेत्र में संप्रभु नही होता है | स्थानीय शासन की संस्थाए राज्य सरकारों द्वारा दिए गए अधिकारों का उपयोग करती है और राज्य विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधियों को लागु करती है | स्थानीय संस्थाओ के सदस्य स्थानीय जनता द्वारा चुने जाते हे | स्थानीय संस्थाओ के माध्यम से शासन में स्थानीकरण के साथ प्रशासकीय अधिकारों का विकेन्द्रीयकरण किया जाता है | स्थानीय निवासिओ की आवश्यकताओ तथा कर्तव्यों की पूर्ति के लिए स्थानीय प्रशासनिक इकाईया अपने क्षेत्र में संप्रभु व् स्वायत्त होती है |

परिभाषा - स्थानीय सरकार अथवा शासन को अनेक प्रकार से परिभाषित किया जाता है |

1. इनसाईक्लोपीडीया ऑफ़ ब्रिटेनिका के अनुसार - "स्थानीय शासन का अर्थ है –एक पूर्ण राज्य की अपेक्षा ए क अंदरूनी ,प्रतिबंधित एवम छोटे क्षेत्र में निर्णय लेने तथा उनको क्रियान्वित करने वाली सत्ता |"
2. एल .गोल्डिंग –"यह एक बस्ती के लोगो द्वारा अपने मामलो का स्वयं ही प्रबंध है | "
3. डॉ .आशीर्वादम –''एक एसी शासकीय इकाई है जिसके क्षेत्रान्तर्गत नगर होते है और जो अपने अधिकार क्षेत्र की सीमा ओं के भीतर प्रदत्त अधिकारों का उपयोग लोककल्याण के लिए करती है |'' .
4. राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी –''आत्मनिर्भर गाँवो के द्वारा ही वास्तविक लोकतंत्र की प्राप्ति संभव है |''

सारभूत रूप में स्थानीय शासन का अभिप्राय यही है की स्थानीय मामलो का प्रबंध स्थानीय व्यक्ति स्वयं अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से करे |

स्थानीय शासन एवम स्थानीय स्वायत्त शासन में अंतर –

विदेशी शासन व्यवस्थाओ में स्थानीय शासन एवम स्थानीय स्वायत्त शासन में कोई भेद नही किया जाता है| भारत में विभिन्न विद्वानों ने इसे अपनी अपनी द्रष्टि से देखा है |

प्रो.श्रीराम माहेश्वरी की मान्यता है की स्थानीय स्वशासन शब्द की उत्पत्ति उस समय हुई जब देश ब्रिटिश शासन के अधीन था | जब ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों को स्थानीय प्रशासन से सम्बद्ध करने का निर्णय लिया तो उसका अभिप्राय जनता को कुछ अंशो में स्वशासन प्रदान करना था |

डॉ.वी .एस .सिन्हा के अनुसार –हमारे देश में स्थानीय स्वायत्त स्वशासन से नगर निगम ,नगर पालिका ,कस्बा क्षेत्र समिति ,अधिसूचित क्षेत्र समिति ,छावनी मंडल ,ग्राम पंचायत ,पंचायत समिति तथा जिला परिषदों का बोध होता है |वस्तुत: भारत के संविधान में स्थानीय शासन शब्द का प्रयोग किया जाता है |

भारत में स्थानीय शासन व्यवस्था

भारत में स्थानीय स्वशासन ---

भारत में स्थानीय शासन प्राय: स्थानीय स्वशासन कहलाता है | यह कोई नवीं न धारणा नही है | भारत में स्थानीय स्वशासन के विकास को निम्न लिखित रूपों में समझा जा सकता है |

1 .प्राचीन भारत में स्थानीय स्वशासन –

प्राचीन काल में भी स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था किसी न किसी रूप में विद्यमान रही है | सबसे पहले मेग्स्थनिज़ के विवरण से तीसरी शताब्दी इ .पु .में भारत में नगरीय शासन होने का प्रमाण मिलता है |वैदिक युग में ,मनुस्मृति में ग्राम्य शासन होने का संकेत मिलता है | मोर्यकालमें शासन की सुविधा के लिए निम्न स्तर तक प्रशासन का विकेन्द्रीयकरण किया गया था | गुप्त काल में भी यही व्यवस्था थी लेकिन राजपूत काल में स्थानीय स्वशासन का महत्त्व कुछ कम होने लगा |

2. मुगल काल में स्थानीय स्वशासन –

मुगल काल में स्थानीय स्वशासन की निम्नतम इकाई ग्राम थी |स्थानीय शासन की जाकारी अबुल फ़जल की आइने-ए-अकबरी से महत्वपुर्ण जानकारी प्राप्त होती है |

3 .ब्रिटिश काल में स्थानीय स्वशासन -

स्थानीय स्तर पर प्रजातांत्रिक शासन की स्थापना करना इसी काल में संभव हो सका | सन 1687 में ब्रिटिश सरकार द्वारा मद्रास नगर निगम की स्थापना की गई | फिर बम्बई व् कलकत्ता में नगरपालिका स्थापित की गई | सन 1870 में लार्ड मेयो ने भारतीयों की प्रशासन में अधिक सहभागिता के लिए नगरीय स्थानीय स्वशासन की इकाई यों के विकास पर बल दिया | सन 1882 में लार्ड रिपन ने स्थानीय प्रशासनिक इकाई यों के विकास संबधी आक प्रस्ताव को पास किया तथा इसका उद्देश्य स्थानीय बुद्धिजीवी भारतीयों की प्रशासन में सहभागिता सुनिश्चित करना बताया |प्रस्ताव में स्थानीय इकाई यों को धन उपलब्ध करने ,करारोपण के अधिकार देने की सिफारिश की गई |**लार्ड रिपन** द्वारा प्रस्तुत सुझावों के कारण ही उसे" **भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक"** कहा जाता है |

सन 1909 में रॉयल कमीशन ने भी कुछ सुझाव प्रस्तुत किये जैसे –प्रत्येक ग्राम में एक ग्रामपंचायत की स्थापना ,नगरीय क्षेत्र में नगरपालिका की स्थापना ,अल्पसंख्यको का मनोनयन ,कर्मचारियों पर पूर्ण नियंत्रण आदि |

सन 1919 एवम 1935के अधिनियमों द्वारा भी स्थानीय स्वशासन में जनता की सहभागिता में वृद्धि हुई किन्तु वित्तीय अभाव की समस्या ज्यो की त्यों बनी रही |

स्वतंत्र भारत में स्थानीय स्वशासन -

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश में स्थानीय स्वायत्त शासन का नवयुग प्रारंभ हुआ | राष्ट्रीय आन्दोलन के दौरान ही कांग्रेस स्थानीय संस्थाओ की प्रगति को अपना लक्ष्य बना चुकी थी | अत : इस लक्ष्य को व्यावहारिक रूप देने के लिए स्वतंत्र भारत के संविधान में स्थानीय संस्थाओ के विकास पर विशेष बल दिया गया | संविधान के अनुच्छेद 40 में कहा गया है कि –"राज्य ग्राम पंचायतो को संगठित करने के लिए कदम उठाएगा और उन्हें इतनी शक्तिया तथा सत्ता सौपेगा | जो उनको सरकार की संयुक्त इकाई यों के रूप में कार्य करने योग्य बना सके |" संविधान में स्वायत्त शासन को राज्य सूची में रख दिया गया | ग्राम को शासन की इकाई मा न लिया गया और यह निश्चित किया गया कि प्रत्येक ग्राम पंचायत की स्थापना राज्य सरकार का पवित्र कर्तव्य होगा | राज्यों में स्थानीय सस्थाओ के सुधा र के लिए कानून बनाये गए | स्थानीय संस्थाओ की शक्ति बढाई गई ,सदस्य संख्या निश्चित की गई ,मताधिकार को विस्तृत बनाया गया | स्थानीय संस्थाओ की वित्त व्यवस्था को सुधा रने के प्रयास किये गये | इन्ही सब प्रयत्नों के फलस्वरूप भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का वर्तमान स्वरुप विकसित हुआ |
भारत में स्थानीय शासन की वर्तमान संरचना ब्रिटिश शासन की देंन है | भारत में भी स्वायत्त शासन को व्ही रूप दिया गया जो कि ब्रिटेन में है | भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन संस्थाए मुख्यत 2 वर्गों में बांटी गई -

1. शहरी
2. ग्रामीण

बड़े नगरो में इन्हें निगम कहा जाता है ,और माध्यम एवम छोटे शहरो में नगरपालिका एवम नगर पंचायत |ग्रामीण क्षेत्रो में इसे पंचायत राज व्यवस्था का नाम देकर त्रि स्तरों पर लागु किया गया | सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में इस व्यवस्था को पंडित जवाहर लाल नेहरु द्वारा लागु किया गया |

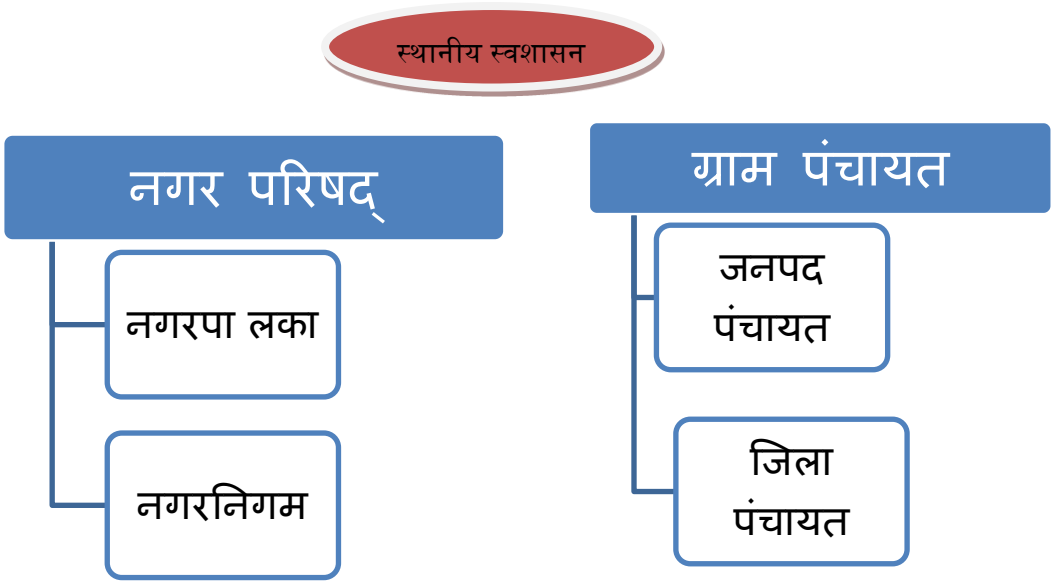

स्थानीय स्वशासन की प्रकृति या लक्षण -
स्थानीय स्वशासन की सस्थाओ की अपनी प्रकृति होती है जैसे –
1.इन संस्थाओ का संवेधानिक आधार होता है | 73 वे एवम 74 वे संविधान संशोधन के माध्यम से यह अब संविधान द्वारा सृजित स्तर है |
2 .राज्य विधान मंडल के अधिनियम द्वारा इनके संगठन एवम कार्य क्षेत्र का निर्धारण किया जाता है |
3 .73 वे संविधान संशोधन द्वारा संविधान में 11 वी अनुसूची एवम 74 वी संविधान संशोधन द्वार 12 वी अनुसूची जोडकर क्रमश : पंचायत राज संस्थाओ एवम नगरीय संस्थाओ द्वारा किये जाने वाले कार्यो का संकेतात्मक प्रावधान किया गया है |
4.अधिनियम के द्वारा प्रदत्त कार्य क्षेत्र के अंतर्गत इन्हें स्वायत्त ता प्राप्त होती है |
5.ये अपने क्षेत्रान्तर्गत निवासियों पर कर लगाकर इन्हें वित्त एकत्र करने का अधिकार देता है |

6. ये संस्थाए राज्य का विषय होने के कारण राज्य सरकारों द्वार निर्देशित ,पर्यवे क्षित एवम नियंत्रित होती है |
7 .इन संस्थाओ का निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर ही होता है |

स्थानीय स्वशासन की आवश्यकता

लोगो का संगठित समूह जब एक स्थान पर एक निश्चित भोगोलिक सीमा में रहने लगता है तो उनमे एक सामुदायिकता और एकता की भावना पैदा हो जाती है | लोगो के इस प्रकार सामूहिक आवास के फल स्वरुप कुछ समस्याए उत्पन्न हो जाती है | इन समस्याओ का संबध नागरिक जीवन की सुविधाओ से होता है जेसे –पानी की व्यवस्था ,गंदे पानी की निष्कासन के लिए नालियो की व्यवस्था ,महामारियो की रोकथाम ,प्राथमिक स्वास्थ एवम चिकित्सा तथा नागरिको को स्वस्थ्य पर्यावरण उपलब्ध कराना आदि | स्थानीय लोगो की बढती हुई स्थानीय सामाजिक आर्थिक आवश्यकताओ और उनसे उत्पन्न समस्याओ के समाधानके लिए एक सशक्त स्थानीय शासन की आवश्यकता निरंतर बढती जा रही है |

स्थानीय शासन का महत्त्व

विश्व के अनेक विद्वानों जैसे जे.एस. मिल ,डी .टाक्वीले,लार्ड ब्रा इस ,एच जे लास्की ,थॉमस जेफ़रसन ,महात्मा गाँधी ,आचार्य विनोबा भावे ,इत्यादि ने स्थानीय सस्थाओ की प्रसंशा करते हुए लोकतंत्र के हित में इनके अधिकाधिक विकास एवम उत्थान का समर्थन किया है | ये संस्थाए अपने कार्यो के द्वारा केंद्र एवम राज्य सरकारों के कल्याणकारी कार्यो में बहु त सहायता प्रदान करती है | एक कहावत है कि ''–केवल जूता पहनने वाला ही यह जा न सकता है कि उसमे किल कहा चुभ रही है |'' अर्थात इसका अभिप्राय यह है कि स्थानीय समस्याओ को सुलझाने के लिए स्थानीय परिस्थिति यों एवम वातावरण का ज्ञान आवश्यक होता है | ये संस्थाए नागरिको में राजनितिक शिक्षा एवम राजनितिक जागरूकता उत्पन्न करती है | स्थानीय सस्थाओ के चुनावो में उस क्षेत्र के सभी नागरिक सक्रिय होकर भाग लेते है | स्थानीय संस्थाए राज्य सरकारों को तथा केंद्र सरकार को समस्त ग्रामीण एवम नगरीय क्षेत्रो से संबधित आवश्यक आंकड़े प्रदान करती है |

निष्कर्ष

स्थानीय शासन प्रत्येक व्यक्ति की उन्नति और सामाजिक नियंत्रण तथा शक्ति एवम विकास के मध्यएक समझोता है | स्थानीय शासन के आभाव में नागरिक भावना जाग्रत नही हो सकती आज यह एक सर्वमान्य विचार है कि नगर हो या ग्राम ,जिला हो ,या प्रान्त ,स्थानीय शासन जितना श्रेष्ठ होगा उतने ही वह के निवासी सुखी और संपन्न होंगे | इसलिए आज संसार के सभी देशो में सम्पुर्ण शासन का भार केवल केन्द्रीय सरकार पर नही होता अपितु उसका एक बहुत बड़ा भाग सम्पूर्ण देश में फैली हुई स्थानीय शासन की संस्थाओ के द्वारा सम्पादित होता है | यह कहने में कोई अतिश्योक्ति नही होगी कि स्थनीय शासन एक स्वतंत्र राष्ट्र की शक्ति का आधार है |

सन्दर्भ :

1. माहेश्वरी एस .आर .,''भारत में स्थानीय शासन'', लक्ष्मी नारायण अग्रवाल प्रेस आगरा 1994
2. शर्मा ,हरिश्चन्द्र '',भारत में स्थानीय स्वशासन'' ,कॉलेज बुक डिपो ,जयपुर 1983
3. इनसाईंक्लोपेडिया ऑफ़ ब्रिटेनिका
4. वेंकट राव ,बी .ए ''.हंड्रेड इयर्स ऑफ़ लोकल गवर्नमेंट इन आसंम '',बनीप्रकाश मंडल ,गौहाटी 1965
5. आशीर्वादम ,ए .डी .'',राजनीति विज्ञानं'' ,एस .चाँद कंपनी लिमिटेड ,नई दिल्ली 1989
6. गाँधी एम् .के.'',हरिजन ''29 जुलाई 1946
7. सिन्हा ,बी .एम् .,''भारत में नगरीय सरकारे'', राजस्थान हिंदी ग्रन्थ अकादमी जयपुर 1986
8. जोहरी जे.सी .''राजनीति विज्ञानं'', एस बी पी डी पब्लिकेशन आगरा 2021 -22